



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168664

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7830/2026

तुषार त्यागी उर्फ राजा

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : संजय तिवारी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 89 वर्ष 2026, धारा 191(2), 191(3), 352, 351(2), 351(3), 333, 62, 140(1) बी.एन.एस., थाना-खरखौदा, जनपद-मेरठ में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि किसी गलतफहमी के कारण आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कर दिया गया है, वास्तव में कोई अपराध घटित नहीं हुआ है। यह बिना चोट का प्रकरण है। प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 109(1), 191(2), 191(3), 352, 351(2), 351(3), 333, 62, 140(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। तथापि, बाद में धारा 109(1) बी.एन.एस. को विवेचना से हटा दिया गया है। प्रकरण के कथित घायल/सूचनाकर्ता ने अपनी भूल का एहसास करते हुए थाना प्रभारी, थाना खरखौदा, जनपद मेरठ के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि पक्षकारों ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपनी गलतफहमी का समाधान कर लिया है और वह उक्त प्रकरण में अभियोजन नहीं चलाना चाहता है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और इंगित किया है कि आवेदक का एक अन्य प्रकरण का आपराधिक इतिहास है। तथापि, वह इस तथ्य से विवाद नहीं करते कि सूचनाकर्ता द्वारा पुलिस के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पक्षकारों ने अपना विवाद सुलझा लिया है।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह बिना चोट का प्रकरण है। धारा 109(1) बी.एन.एस. को विवेचना से हटा दिया गया है। घायल/सूचनाकर्ता ने भी संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि पक्षकारों ने अपना विवाद सुलझा लिया है। न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी निजी विवाद का परिणाम हो सकती है। यद्यपि आवेदक का एक अन्य प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, तथापि उक्त प्रकरण में ऐसे अपराध सम्मिलित हैं, जिनमें दोषसिद्धि होने की स्थिति में सात वर्ष से अधिक की कारावास की सजा नहीं हो सकती है।

7- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

9- आवेदक-**तुषार त्यागी @ राजा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

i- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

11 अगस्त, 2026

ए. पांडे